न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

वाद सं0 : 64/2025

वादी :

झमनलाल पुत्र धनराज जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

प्रतिवादीगण :

सन्तरो पत्नी धनराज जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।
बाला कुमारी पुत्री धनराज जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील श्री राजेश बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय स्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 151/26 के 119, 123, 177, 345 तथा 360 कुल खसरे 5 की 15.7190 है0 बारानी वादभूमि में दीया सं0 1 सन्तरो के नाम 575/1429 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त मे में से प्रतिवादीया सं0 1 सन्तरो अकेले की बजाय वादी झमनलाल व प्रतिवादीया 1 सन्तरो को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा री की गई।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 64/2025

शान :

झमनलाल पुत्र धनराज जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. सन्तरो पत्नी धनराज जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।
2. बाला कुमारी पुत्री धनराज जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा।
3. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेश बैनिवाल : **वादी**

वकील श्री अर्जुन बैनिवाल : **प्रतिवादी सं0 1 तथा 2**

निर्णय **दिनांक :** 30.04.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 /26 के ख0सं0 119, 123, 177, 345 तथा 360 कुल खसरे 5 की 15.7190 है0 बारानी भूमि में प्रतिवादी सं0 1 सन्तरो के नाम 575/1429 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि में वादी के दादा गंगाराम की खातेदारी हुआ करती थी जो गंगाराम से जरिये दानपत्र प्रतिवादीया संख्या 1 प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हक की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इंकार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादीया सं0 1 तथा 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में झमनलाल पुत्र धनराज जाति जाट निवासी जिगासरी बड़ी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम जिगासरी बड़ी खाता संख्या 1/26 सम्वत 2076-79 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जिगासरी बड़ी प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही मौजा जिगासरी बड़ी संवत 2072-2075 खाता 36/25 प्रदर्श 3 तथा सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुन्दडिया बड़ा प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादीया सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:29:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
भादरा

Scanned with CamScanner

र मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी ी किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत विज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम जिगासरी के राजस्व रिकार्ड में अपनी माता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 151/26 ख0सं0 119, 123, 177, 345 तथा 360 कुल खसरे 5 की 15.7190 है0 बारानी वादभूमि में ादीया सं0 1 सन्तरो के नाम 575/1429 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त ूमि में से प्रतिवादीया सं0 1 सन्तरो अकेले की बजाय वादी झमनलाल व प्रतिवादीया 1 सन्तरो को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 पना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीया संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। कार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा ा की जाती है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं0 151/26 के ख0सं0 119, 177, 345 तथा 360 कुल खसरे 5 की 15.7190 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादीया सं0 1 ो के नाम 575/1429 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादीया 1 सन्तरो अकेले की बजाय वादी झमनलाल व प्रतिवादीया संख्या 1 सन्तरो को बहिस्सा र के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ने अपना हक हिस्सा वादी तेवादीया संख्या 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से नेयमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो ुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में या गया।

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.02 11:29:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner